

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-218/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० रोहित कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटेया, गोपालगंज का दिनांक-09.03.2022 से 05.06.2025 तक की अविनियमित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-09.03.2022 से 09.03.2025 तक	— (कुल-1097 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक-10.03.2025 को	— (कुल-1 दिन) असाधारण अवकाश के रूप में।
iii	दिनांक-11.03.2025 से 05.06.2025 तक	— (कुल-87 दिन) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-218/2026- 2348(3) पटना, दिनांक 25/9 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटेया, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/डा० रोहित कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटेया, गोपालगंज/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

M. Ramkrishna
सरकार के उप सचिव